महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में एक आंकलन

VIKAS SAMVAD

मनरेगा फैक्टशीट

विकास संवाद, मध्यप्रदेश

vikassamvad@gmail.com

मनरेगा की वर्तमान चुनौतियां

मनरेगा से पुनः परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना एक असामान्य कार्यक्रम है. यह असामान्य इसलिए है, क्योंकि जिस आधुनिक काल में रोज़गार और अधोसंरचना विकास के काम का व्यापक और बेतरतीब निजीकरण किया जा रहा था, उस काल में सामाजिक आन्दोलनों और जनपक्षीय राजनीति के दबाव के कारण भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के काम का वैधानिक अधिकार दिया था.

यह योजना एक क़ानून के तहत संचालित होती है. सकल घरेलु उत्पाद की वृद्धि दर और असमानता बढ़ाने वाली आर्थिक नीतियों के पैरोकार हमेशा से रोज़गार के कानूनी अधिकार के खिलाफ रहे हैं. यह क़ानून, जिसे संक्षेप में मनरेगा कहा जाता है, कहता है कि जो भी परिवार या व्यक्ति काम मांगेगा, उसे काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोज़गार दिया जाएगा. यदि 15 दिन में काम नहीं दिया जाता है, तो उसे सोलहवें दिन से बेरोज़गारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार होगा.

इसी तरह जब व्यक्ति काम करेगा, तो उसे 7 से 15 दिन की अवधि में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. यदि इससे ज्यादा देरी हुई, तो मजदूरी भुगतान में देरी के लिए मुआवजा दिया जाएगा.

भारत के जिम्मेदार पदों पर आसीन राजनेता भी मनरेगा से खुश नहीं रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे गाँव से शेरोन की तरफ पलायन कम हुआ है. इसके कारण से कारखानों और निर्माण कंपनियों को सस्ते मजदूर मिलने कम हो गए हैं और जब मनरेगा नहीं था, तब मजदूर मजदूरी की राशि पर कोई मोलभाव करने के स्थिति में नहीं थे. इसके कारण बड़ी कंपनियों का मुनाफ़ा कम हुआ है. मनरेगा

में यह भी प्रावधान हैं कि ग्राम सभा और पंचायत खुद तय करेंगे कि गाँव में कौन-कौन से काम किये जाने हैं? उनसे क्या लाभ होगा? वे ही मनरेगा के तहत होने वाले कामों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करने के लिए अधिकृत भी हैं.

अतः सबसे पहले मनरेगा के सम्बन्ध में हमें पूरी समझ और जानकारी हासिल कर लेना चाहिए. जो भी यह कहता है या मानता है कि मनरेगा एक गड्ढे खोदने वाले योजना है, उसे भारत की जमीनी वास्तविकताओं का कोई अंदाज़ नहीं है. उसे यह पता नहीं है कि वर्ष 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका नहीं लगने देने में में भी इस योजना का बड़ा योगदान था. और अब, जबकि भारत कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, तब भी मनरेगा ही समाज-सरकार-बाज़ार के लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हो रहा है. 15 सालों के जीवन में यानी अपनी किशोरावस्था में पहुँचते हुए मनरेगा ने अपने महत्व को दो बार साबित किया है.

सवाल यह है कि क्या हम भारत की सरकारों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी की बदहाली को खुशहाल बनाने में मनरेगा की भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करेंगी और इसका संरक्षण भी करेंगी.

कितने सक्रिय हैं जॉबकार्ड और श्रमिक?

वर्तमान स्थिति में मनरेगा के तहत भारत में 13.87 करोड़ जॉब कार्ड प्रचलन में हैं. दूसरी तरह से देखें तो ग्रामीण भारत के 55% परिवार मनरेगा जॉब कार्ड धारी हैं. उत्तरप्रदेश में 1.85 करोड़, बिहार में 1.86 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1.27 करोड़ गुजरात में, राजस्थान में 1.08 करोड़ और मध्यप्रदेश में 71.33 लाख परिवारों के पास जॉब कार्ड हैं.

इनमें से 7.81 करोड़ यानी कि लगभग 56% जॉब कार्ड धारी पिछले तीन सालों में कभी न कभी इस योजना में श्रम करते रहे हैं. बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत नाज़ुक है और मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन भी बिहार से ही होता है, इसके बावजूद वहां जॉब कार्ड धारी 1.86 करोड़ परिवारों में से केवल 54.12 लाख (29.1%) जॉब कार्ड की सक्रिय हैं. जबकि छत्तीसगढ़ में 41.16 लाख जॉब कार्डों में से 33.41 (81.2%), मध्यप्रदेश में 71.33 लाख में से 52.58 लाख (73.7%), पश्चिम बंगाल में 83.48 लाख (65.6%) और राजस्थान में 69.88 लाख (64.6%) जॉब कार्ड सक्रिय हैं.

मनरेगा के प्रावधान के मुताबिक़ एक परिवार को साल भर में 100 दिन का रोज़गार पाने का कानूनी अधिकार है और इन 100 दिनों का रोज़गार पाने के लिए परिवार के एक से ज्यादा सदस्य भी काम कर सकते हैं. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ा

भण्डार के मुताबिक मई 2020 की स्थिति में 13.87 करोड़ पारिवारिक जॉब कार्डों पर 27 करोड़ श्रमिक दर्ज हैं. इनमें से लगभग 12 करोड़ (कुल श्रमिकों का 44.3%) ने पिछले तीन सालों में कभी न कभी मनरेगा में श्रम किया है. इन्हें मनरेगा में सक्रिय श्रमिक माना जाता है. बिहार में मनरेगा में दर्ज 2.61 करोड़ श्रमिकों में से केवल 63.23 लाख (24.2%) श्रमिक ही सक्रिय हैं. जबकि छत्तीसगढ़ में 94.61 लाख में से 67.55 लाख (71.4%), मध्यप्रदेश में 1.62 करोड़ में से 95 लाख (58.8%) और पश्चिम बंगाल में 2.86 करोड़ में से 1.39 करोड़ (48.7%) श्रमिक सक्रिय रहे हैं.

	वर्ष 2020-21 की स्थिति (संख्या लाख में)							
राज्य	कुल जॉब कार्ड	सक्रिय जॉब कार्ड	कुल कार्डों में से सक्रिय का जॉब कार्ड का %	कुल कामगार	कुल सक्रिय कामगार	कुल कामगारों में से सक्रिय कामगार %	भुगतान की जा रही मजदूरी - वर्ष 2020 में	अधिसूचित मजदूरी दर - 2020
भारत	1387	781	56.3	2700	1197	44.3	201.3	202.0
बिहार	186	54.12	29.1	261.14	63.23	24.2	193.51	194.0
छत्तीसगढ़	41.16	33.41	81.2	94.61	67.55	71.4	174.37	190.0
गुजरात	40.95	15.2	37.1	91.95	25.31	27.5	187.98	224.0
झारखंड	50.18	22.91	45.7	87.84	29.76	33.9	193.91	194.0
कर्नाटक	64.54	33.39	51.7	150.66	64.56	42.9	269.77	275.0
मध्यप्रदेश	71.33	52.58	73.7	162.11	95.24	58.8	180.38	190.0
उत्तरप्रदेश	184.74	85.72	46.4	262.26	106.43	40.6	200.85	201.0
पश्चिम बंगाल	127.26	83.48	65.6	286.37	139.36	48.7	193.5	204.0
राजस्थान	108.17	69.88	64.6	244.65	108.59	44.4	166.82	220.0
महाराष्ट्र	93.85	28.88	30.8	222.76	54.48	24.5	213.74	238.0

मनरेगा में विसंगतियां

मनरेगा के कुछ प्रावधानों में और बहुत सारी इनके क्रियान्वयन में विसंगतियां हैं. भारत में पिछले 20 वर्षों की स्थिति यह रही है कि इन परिवारों को 300 दिन में से अन्य स्रोतों से 75 से 100 दिन का ही रोज़गार हासिल हो पाता है, ऐसी अवस्था में उन्हें 200 दिन के रोज़गार की जरूरत रही है, लेकिन मनरेगा भी केवल 100 दिन का रोज़गार देने का प्रावधान होने के कारण नागरिकों में इसके प्रति पूरा विश्वास स्थापित नहीं हो पाया.

दूसरी बड़ी विसंगति रही है, मजदूरी की राशि के सन्दर्भ में. दिक्कत यह है कि मनरेगा में तय की जाने वाली मजदूरी भारत की न्यूनतम मजदूरी की दर से वर्ष 2019-20 तक लगभग 18 से 20 प्रतिशत कम रही है.

तीसरी बात यह है कि कानूनी में 7 से 15 दिन में मजदूरी के भुगतान के प्रावधान के बावजूद कई सालों तक मजदूरों को 6 से 12 महीनों की देरी से मजदूरी का भुगतान हुआ है. इस कारण से मनरेगा योजना उनकी बदहाली को दूर नहीं कर पायी. इसके साथ ही भ्रष्टाचार, सोशल आडिट न होना, मानव श्रम के स्थान पर मशीनों से काम कराया जाना भी मनरेगा को असफल बनाने वाले कारक रहे हैं. इन सबके बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और बेरोज़गारी को कम करने का सबसे सक्षम विकल्प है.

न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी

तथ्यात्मक अध्ययन से पता चलता है कि मनरेगा में मजदूरों को तय मजदूरी से भी कम का भुगतान होता है. वर्ष 2020-21 यानी इसी साल की रिपोर्ट के मुताबिक़ गुजरात में मनरेगा में मजदूरी की दर 224 रुपये प्रतिदिन है, किन्तु मजदूरों को 188 रुपये के हिसाब से ही भुगतान हुआ है. इसी तरह राजस्थान में 220 रुपये के स्थान पर औसतन 167 रुपये, मध्यप्रदेश में 190 रुपये के स्थान पर 180 रुपये और पश्चिम बंगाल में 204 रुपये के स्थान पर 193 रुपये, छत्तीसगढ़ में 190 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 174 रुपये की मजदूरी का भुगतान हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा का क्रियान्वयन कई मायनों में गरीब और श्रमिक विरोधी रहा है. मजदूरी के कम मूल्यांकन के कारण भी लाखों मजदूरों के मनरेगा से किनारा किया है.

100 दिन के रोज़गार का सच

यह सच बहुत कड़वा है. कोविड19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों के प्रभाव में यह आंकलन है कि लगभग 1.5 से 2.0 करोड़ मजदूर वापस लौट जायेंगे. बिहार का नागरिक किन हालातों में हज़ारों किलोमीटर दूर मुंबई या बंगलुरु पलायन करता होगा? क्या वास्तव में बंगलुरु में बहुत ज्यादा मजदूरी मिलती है? ऐसा तो नहीं है. बंगलुरु में भी औसतन 350 से 400 रुपये की मजदूरी मिलती है, जो बिहार के औसत से ज्यादा है किन्तु जब पलायन पर रहने के खर्चों के आधार पर गणित लगाते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में उन्हें बिहार की दर से 15 से 20 प्रतिशत मजदूरी ही ज्यादा मिलती है. तब सवाल यह है कि मजदूर पलायन क्यों करता है? स्थानीय शोषण के कारण, लगातार रोज़गार नहीं मिलने के कारण और नए विकास के चमक को अपनी आँखों में उतार लेने की अपेक्षा के कारण! सच तो यह है कि सरकारों ने मनरेगा के लिए एक निश्चित बजट जरूर आवंटित किया है, किन्तु इसमें विश्वास नहीं किया, इससे प्रेम नहीं किया!

यही कारण है कि मनरेगा कभी भी अपने लक्ष्य, यानी कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोज़गार देने, के करीब नहीं पहुँच पाया. विकास संवाद द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के चार सालों के अध्ययन से पता चला कि इस अवधि में औसतन भारत के 7.81 करोड़ सक्रिय जॉब कार्डधारी परिवारों में से केवल 40.7 लाख (5.2%) परिवारों को ही 100 दिन का रोज़गार हासिल हो पाया. भारत के जिन राज्यों से सबसे ज्यादा पलायन होता है, वहां तो हालत और ज्यादा दयनीय रहे हैं. बिहार में 54.12 लाख सक्रिय जॉबकार्ड में से से केवल 20 हज़ार (0.3%) परिवारों ने ही 100 दिन का काम किया.

इसी तरह उत्तरप्रदेश में 85.72 लाख सक्रिय जॉब कार्ड्स में से औसतन 70 हज़ार (0.8%) परिवारों ने ही 100 दिन का काम हासिल किया. मध्यप्रदेश भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया. यहां 52.58 लाख सक्रिय जॉब कार्डधारियों में से केवल 1.1 लाख (2.1%) परिवारों ने ही 100 दिन का रोज़गार प्राप्त किया.

इस सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ में 33.41 लाख जॉब कार्डधारी परिवारों में से 2.9 लाख (8.8%), कर्नाटक में 33.39 लाख सक्रिय जॉबकार्ड धारियों में से 1.6 लाख (4.7%) पश्चिम बंगाल में 83.48 लाख कार्ड धारियों में से 6.1 लाख (7.4% और राजस्थान में 69.88 लाख जॉबकार्ड धारियों में से 5.2 लाख (7.5%) परिवारों ने मनरेगा का लक्ष्य हासिल किया.

वर्तमान मनरेगा जॉबकार्ड संख्या और कोविड19 से उपजी जरूरत											
	वर्ष 2020-21 की स्थिति (संख्या लाख में)						काम करने वाले परिवारों की संख्या और 100 पूरा करने वाले परिवार				
	कुल जॉब कार्ड	सक्रिय जॉब कार्ड	कुल कार्डों में से से सक्रिय का जॉब कार्ड का %	कुल कामगार	कुल सक्रिय कामगार	कुल कामगारों में से सक्रिय कामगार %	100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की औसत संख्या - लाख में	100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों का %	मनरेगा में वर्ष में काम करने वाले कुल परिवारों का औसत - लाख में	सक्रिय जॉब कार्ड परिवार में से वास्तव में वर्ष में काम करने वाले परिवारों का %	यदि सभी सक्रिय जॉबकार्ड परिवार काम चाहेंगे तो नयी जरूरत - लाख में
भारत	1387	781	56.3	2700	1197	44.3	40.7	5.2	524.8	67.2	256.2

बिहार	186	54.12	29.1	261.14	63.23	24.2	0.2	0.3	27.1	50.1	27.0
छत्तीसगढ़	41.16	33.41	81.2	94.61	67.55	71.4	2.9	8.8	23.4	69.9	10.0
गुजरात	40.95	15.2	37.1	91.95	25.31	27.5	0.2	1.1	8.3	54.4	6.9
झारखंड	50.18	22.91	45.7	87.84	29.76	33.9	0.4	1.7	14.6	63.8	8.3
कर्नाटक	64.54	33.39	51.7	150.66	64.56	42.9	1.6	4.7	20.2	60.4	13.2
मध्यप्रदेश	71.33	52.58	73.7	162.11	95.24	58.8	1.1	2.1	34.6	65.7	18.0
उत्तरप्रदेश	184.74	85.72	46.4	262.26	106.43	40.6	0.7	0.8	50.5	59.0	35.2
पश्चिम बंगाल	127.26	83.48	65.6	286.37	139.36	48.7	6.1	7.4	52.3	62.6	31.2
राजस्थान	108.17	69.88	64.6	244.65	108.59	44.4	5.2	7.5	49.7	71.2	20.2
महाराष्ट्र	93.85	28.88	30.8	222.76	54.48	24.5	1.7	5.9	16.2	55.9	12.7

कार्ययोजना के 40% काम ही पूरे होते हैं !

मनरेगा के क्रियान्वयन में सही ढंग से नियोजन न होना, एक बड़ी चुनौती रही है. इस योजना में नियमित रूप से काम होते रहने की गुंजाइश है. इसके लिए हर पंचायत की वार्षिक और पंचवर्षीय कार्ययोजना बनाने का प्रावधान है. पहले से यह सपष्ट रहना चाहिए कि पंचायत में विकास की जरूरतें कौन-कौन सी हैं और किनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोज़गार भी दिया जा सकेगा.

वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मनरेगा में हर साल भारत में औसतन 184.1 लाख काम या तो नए शुरू होते हैं या फिर पहले से चले आ रहे होते हैं.

तथ्यों से पता चलता है कि हर साल मनरेगा में हो रहे कामों में से औसतन 39.4% काम ही पूरे हो रहे हैं, बाकी के काम अपूर्ण रह जा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर अगले साल की कार्ययोजना में जुड़ जाते हैं.

मनरेगा के तहत परियोजनाएं पूरी करने के मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार की है. वहां औसतन 12.4 लाख काम खोले गए, जिनमें से औसतन 2.1 लाख (16.1%) ही पूरे किये गए. इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में 40% से ज्यादा काम पूरे हुए.

मनरेगा के तहत नए शुरू काम और पूर्व से जारी काम													4 सालों का औसत (2016-17 से 2019-20)		
	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20					
	कुल नए और पूर्व से जारी काम	पूर्ण हुए काम	पूर्ण हुए कामों का %	कुल नए और पूर्व से जारी काम	पूर्ण हुए काम	पूर्ण हुए कामों का %	कुल नए और पूर्व से जारी काम	पूर्ण हुए काम	पूर्ण हुए कामों का %	कुल नए और पूर्व से जारी काम	पूर्ण हुए काम	पूर्ण हुए कामों का %	कुल नए और पूर्व से जारी काम	पूर्ण हुए काम	पूर्ण हुए कामों का %
भारत	162.54	65.46	40.3	185.56	62.63	33.8	197.06	90.22	45.8	191.18	71.92	37.6	184.1	72.6	39.4
बिहार	5.23	0.78	14.9	8.84	1.1	12.4	14.66	1.84	12.6	22.58	4.53	20.1	12.8	2.1	16.1
छत्तीसगढ़	6.67	2.07	31.0	9.03	4.07	45.1	9.12	4.79	52.5	7.06	3.77	53.4	8.0	3.7	46.1
गुजरात	2.31	1.1	47.6	3.67	1.33	36.2	3.51	1.66	47.3	3.23	1.31	40.6	3.2	1.4	42.5
झारखंड	6.25	2.06	33.0	9.17	2.85	31.1	8.55	4.06	47.5	7.01	3.5	49.9	7.7	3.1	40.3
कर्नाटक	8.76	3.91	44.6	8.86	3.91	44.1	8.95	3.89	43.5	9.37	3.06	32.7	9.0	3.7	41.1
मध्यप्रदेश	10.65	3.09	29.0	16.69	4.76	28.5	19.62	12.44	63.4	12.16	5.01	41.2	14.8	6.3	42.8
उत्तरप्रदेश	10.17	5.49	54.0	15.82	5.38	34.0	17.51	10.67	60.9	15.22	6.1	40.1	14.7	6.9	47.1
पश्चिम बंगाल	18.84	5.61	29.8	27.58	6.64	24.1	28.6	12.88	45.0	29.12	10.21	35.1	26.0	8.8	33.9
राजस्थान	6.22	1.85	29.7	8.52	2.09	24.5	9.42	4.33	46.0	9.86	3.4	34.5	8.5	2.9	34.3
महाराष्ट्र	6.51	1.69	26.0	9.01	2.42	26.9	9.51	3.2	33.6	8.63	3.25	37.7	8.4	2.6	31.4

मनरेगा केवल मजदूरों का नहीं,

भारत का सुरक्षा कवच है!

केवल रोज़गार प्रदान करने वाली ही नहीं, बल्कि भारत में सबसे ज्यादा अपमान सहने वाली योजना भी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना. मनरेगा सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से जुड़े सबसे ज्यादा पहलुओं को एक साथ छूने वाली योजना भी है. इसके बारे में इतना तक कहा गया कि आज़ादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजा जाता है. मनरेगा उस सरकार की असफलता का स्मारक है, जिसने यह क़ानून बनाया. वास्तविकता यह है कि आधुनिक भारत की राजनीति और सरकारें शारीरिक श्रम को खराब और निकृष्ट कार्य मानती हैं. इनका विश्वास केवल बटन दबा कर जीवन के लक्ष्य हासिल करने वाली नीति में है.

वर्ष 2019-20 के बजट पर चर्चा करते हुए भारत के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार मनरेगा को हमेशा नहीं चलाये रखना चाहती है. यह योजना गरीबों की मदद के लिए, और हम गरीबी मिटा देंगे ताकि यह योजना बंद की जा सके. इस वक्तव्य से यह स्पष्ट दिखता है कि भारत सरकार यह जानती ही नहीं है कि इस योजना से केवल मजदूरों को काम नहीं मिलता है, इससे ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है, जिनसे गांवों की बदहाली पर रोक लग रही है. इनसे पानी-पेड़ों-खेतों-पशुपालन-आवागमन का ढांचा भी तैयार हुआ है. इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को मनरेगा योजना बहुत खटकती है. सरकार को हर वह क़ानून खटकता है जो समाज को बेहतर बना सकता है या वंचित तबकों को आर्थिक -सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है. नए आर्थिक विकास ने सरकारों में इस भावना का विकास किये है कि मजदूर सरकारों और पूंजीपतियों के उपनिवेश होते हैं. यही कारण से कि न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान होने के बावजूद मनरेगा में न्यूनतम से भी कम मजदूरी का कानूनी प्रावधान किया गया है. जिस वक्त मध्यप्रदेश में अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी 204 रुपये प्रतिदिन है, किन्तु मनरेगा में 190 रुपये प्रतिदिन है. क्यों?

बहरहाल उसी साल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 60 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन करते हुए कहा था कि इस राशि से 1.52 लाख सूक्ष्म सिंचाई इकाईयां बनाई जायेंगी. वनीकरण के 32 हज़ार काम किये जायेंगे. इस राशि से कुल मिलाकर 58.21 लाख परिसंपत्तियां बनाने या उनकी मरम्मत का काम किया जाना तय हुआ. कभी सोचियेगा कि मनरेगा का भारत को बदहाली से बचाने में क्या योगदान है? इसी कार्यक्रम ने शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच असमानता की खाई को असीमित होने से और गांवों को फिर से जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यह बहुत ही सामान्य सा विषय रहा है कि छोटे किसानों और गांवों को आर्थिक विकास का लाभ दिलाने के लिए उनके संसाधनों को ज्यादा उत्पादक बनाना होगा. यही कारण है कि मनरेगा में खेत तालाब, मेढ बंधान, निजी प्रांगण या जमीन पर कुएं खोदना और अब पोषण वाटिका लगाने जैसे काम भी इसमें शामिल हैं. वर्ष 2020-21 के शुरूआती 2 महीनों में ही इस तरह के 1.37 करोड़ व्यक्तिगत कामों को मनरेगा में शामिल करके, उन पर काम चालू किया गया. भारत के सुरक्षित और संपन्न तबकों को इतना तो अहसास होना ही चाहिए कि जिस देश को वे इतना प्रेम करते हैं, वहां गाँव और गाँव के मजदूरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आये.

जो लोग या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमन्त्री यह मानते हैं कि मनरेगा के लिए किया जाने वाला खर्च मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ बनता है, तो उन्हें केवल एक जानकारी खुले दिमाग से ग्रहण कर लेना चाहिए. जब वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा के लिए 61500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया, तो वह किसी दान या मुफ्त वितरण के लिए आवंटन नहीं था. इस राशि से 5.5 करोड़ मजदूर मेहनत करके भारत को ठोस विकास अवस्था में ले जाते हैं. इस राशि से इस एक साल में मजदूरों को 1.55 लाख छोटी सिंचाई इकाईयां बनानी थीं. इन सिंचाई इकाइयों से 7.5 लाख हेक्टेयर खेती सिंचित होती. इससे उत्पादन बढ़ता और भारत की खाद्य असुरक्षा और गरीबी में कमी आती और महंगाई दर नियंत्रण में रहती.

इसी राशि से एक साल में मजदूर वनीकरण के 40 हज़ार काम करते. इन कामों से लगभग 40 से 50 करोड़ पेड़ लगाए और संरक्षित किये जाते. इससे विकास के नाम पर छील दी गयी धरती को वस्त्र मिलते. इससे मानसून व्यवस्थित होता और पृथ्वी का तापमान भी थोड़ा नियंत्रण में आता. ये पेड़ यात्रियों को छाँव भी देते और पंछियों को आशियाना भी. ये काम करते मनरेगा के मजदूर.

भारत सरकार के इस आवंटन से वर्ष 2020-21 में साढ़े पांच करोड़ मजदूर 1.27 लाख पानी के भण्डारण और संग्रहण के स्रोत बनाते. वे छोटे-छोटे तालाब बनाते, खेतों की मेड़ें बनाते. जिन गांवों में पानी का संकट है, वहां पुराने कुएं और बावड़ियाँ साफ़ करते, उनकी मरम्मत करते.

इससे धरती के पेट में पानी जाता. ये काम इसलिए जरूरी है क्योंकि शहर तो अपना पानी बचाने नहीं है. भारत ने पिछले 30 सालों में पानी के 40 लाख स्रोतों को ख़तम किया है. तालाब सुखा कर उन पर इमारतें बना ली हैं. बड़ी-बड़ी सड़कें बन गयी हैं, उन पर सरपट महँगी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं. लेकिन हमें यह आभास नहीं है कि गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं, खेतों, जंगल और तालाबों की कब्र पर दौड़ती हैं. चूंकि यह अहसास ख़तम हो गया है इसलिए भारत के अमीरों और मध्यमवर्गीय परिवारों को ऐसा महसूस होता है कि सरकार उनसे टैक्स लेकर इन मजदूरों को मुफ्त में लुटाये दे रही है. किन्तु सच तो यह है कि अमीरों और मध्यमवर्गीय समाज के अपराधों से खड़े हो रहे संकट को दूर धकेलने की काम करते हैं मनरेगा के मजदूर!

जिस बुद्धि के पतीले में यह विचार पकता है कि मनरेगा लोगों को दी जाने वाली रियायत या सब्सिडी है, उस बुद्धि को इस वास्तविकता का अनुमान नहीं है कि इस कार्यक्रम में 7.8 करोड़ लोग 8 घंटे शारीरिक श्रम करते हैं, तब जाकर मजदूर को कर्नाटक में 270 रुपये, बिहार में 194 रुपये, उत्तर प्रदेश में 201 रुपये राजस्थान में 167 रुपये, पश्चिम बंगाल में 194 रुपये छत्तीसगढ़ में 168 रुपये और मध्यप्रदेश में 180 रुपये का पारिश्रमिक मिल रहा है.

मनरेगा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें विकलांगता से प्रभावित लोगों को भी कोई न कोई काम देने का प्रावधान किया गया है. संभवतः मनरेगा भारत में विकलांगता से प्रभावित सबसे लोगों को रोज़गार देने वाला कार्यक्रम भी है. इस योजना में पिछले चार सालों में हर साल औसतन 4.67 लाख विकलांग लोगों को भी रोज़गार मिला.

अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के जीवन के आधार को मज़बूत बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है. भारत में औसतन 250 करोड़ मानव दिवस का रोज़गार सालाना मनरेगा के तहत सृजित किया गया. इसमें से हर साल 50 करोड़ दिनों का रोज़गार आदिवासी समुदाय के और 42 करोड़ दिवस रोज़गार अनुसूचित जाति के समुदाय से जुड़े लोगों को मिला. जिन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को हम अपने सामने फलता-फूलता देखते रहे हैं, क्या यह समाज का नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वह मनरेगा को मज़बूत बनाने के पक्ष में खडा हो?

और एक बात जोड़ना जरूरी है. अपने घरों और खेत-बाड़ी का अवैतनिक काम करने वाले महिलाओं के जीवन को भी यही कार्यक्रम व्यवस्थागत हक़ उपलब्ध करवाता है. वरना आप ही सोचिये कि मनरेगा में पैदा होने वाले 250 करोड़ मानव दिवस के रोज़गार में से महिलाओं को लगभग 56 प्रतिशत अवसर मिलता है. यानी यह योजना महिलाओं के लिए 140 करोड़ मानव दिवस का रोज़गार उपलब्ध करवाती है. ऐसे कार्यक्रम को बंद किये जाने या कमज़ोर किये जाने का समर्थन करना वाजिब है क्या?

आर्थिक मंदी से लेकर कोविड19 महामारी तक इस रोज़गार योजना ने अपने विचार की सार्थकता को सिद्ध किया है. अब वक्त है उस समाज को अपने इंसानियत और समझदारी को साबित करने का, जो नीतियों को सीधे प्रभावित करते हैं, जो बार-बार जाने-अनजाने व्यापक हितकारी नीतियों और योजनाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संवैधानिक मूल्यों से विमुख हो चुकी सरकारों के मन की बात स्वर दे देते हैं.

मनरेगा का सामाजिक अर्थशास्त्र

सरकार को मनरेगा के खाते में डालना होंगे 3.38 लाख करोड़ रुपये

वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए मनरेगा को एक सबसे माकूल रणनीति के रूप में स्वीकार करना होगा. इसमें आंकड़ों या सिद्धांतों की हेरा-फेरी से मुक्ति पाकर ही मौजूदा स्थिति से निपटा जा सकेगा. बात बहुत ही सीधी है. मनरेगा में सभी सक्रिय जॉबकार्ड धारियों को 100 से 150 दिनों के काम की उपलब्धता सुन्सिचित करना. इसके लिए मौजूदा आवंटन से 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख करोड़ से 3.38 लाख करोड़ रुपये के बीच करना होगा. ग्रामीण रोज़गार के लिए किये जाने वाले इस निवेश से ग्रामीण बाज़ार ने सीधे नकदी आएगी. लोग अपनी जरूरतें भी पूरी कर पायेंगे और उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा. इसके लिए भारत सरकार को बड़ी कंपनियों और कारखानों को प्रत्यक्ष सहायता देते रहने की नीति में बदलाव करना होगा और निम्न आयवर्ग के ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के माध्यम से सीधे सहायता पहुंचाने की नीति में विश्वास करना होगा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के तहत भारत में कुल 13.87 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गए हैं. इनमें से 7.81 करोड़ परिवार या जॉब कार्ड धारी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में मनरेगा में काम किया है. ऐसे परिवारों के जॉबकार्ड को सक्रिय जॉबकार्ड की श्रेणी में रखा जाता है.

अपने अध्ययन में विकास संवाद ने पाया कि जिन राज्यों में मनरेगा का क्रियान्वयन कमज़ोर रहा है, उन राज्यों से ही पलायन ज्यादा हो रहा है. मसलन बिहार में 1.86 लाख जॉब कार्ड धारियों में से केवल 45.12 लाख (29.1%) जॉब कार्डधारी ही सक्रिय रहे हैं. लगभग यही अनुपात सक्रिय श्रमिकों का भी रहा है. बिहार में 100 दिन का रोज़गार करने वाले परिवारों की संख्या भी बहुत कम (औसतन 20 हज़ार यानी केवल 0.3%) रही है. यही स्थिति उत्तरप्रदेश की भी है. जहाँ 1.85 करोड़ जॉबकार्ड धारियों में से केवल 85.72 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय हैं और यहाँ केवल 0.8% सक्रिय जॉबकार्ड धारियों ने 100 दिन का काम पूरा किया.

अध्ययन से पता चलता है कि 13.87 करोड़ जॉबकार्ड धारियों में पिछले चार वर्षों में (वर्ष 2016-17 से 2019-20) के बीच औसतन 5.25 करोड़ परिवारों ने हर साल मनरेगा में कम किया. कोविड19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से अब वे परिवार काम करना चाहेंगे, जो संभवतः पलायन पर जा रहे थे या जिन्हें और कोई अन्य विकल्प उपलब्ध हो रहे थे. भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय जॉब कार्ड्स की संख्या 7.81 करोड़ है (यानी जिन लोगों ने पिचके कुछ महीनों में कभी न कभी मनरेगा में काम किया है.), लेकिन तत्कालीन वर्षों में औसतन 5.25 करोड़ (सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवारों में से 67.2%) परिवारों ने ही काम किया. कोविड19 के बाद मनरेगा में काम करने वाले परिवारों की संख्या 5.25 करोड़ से बढ़कर 7.81 करोड़ हो जाने की संभावना है, क्योंकि अब सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारी काम करने के लिए उपलब्ध होंगे. इसका मतलब है कि अगर सरकार माकूल कोशिशें करेगी, तो उसे 2.56 करोड़ परिवारों को रोज़गार उपलब्ध करवाना होगा.

वर्तमान आवटन नाकाफी है!

वर्ष 2016-17 से 2019-20 के वित्तीय वर्षों में भारत सरकार ने औसतन 59111 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के लिए जारी की. वर्ष 2016-17 में 47.4 हज़ार करोड़ रूपये, वर्ष 2017-18 में 55.70 हज़ार करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 62.12 हज़ार करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 71.25 हज़ार करोड़ रुपये जारी किये.

केंद्र सरकार द्वारा दी गयी राशि से भी यह स्पष्ट होता है कि मजदूरों की जरूरत और उनकी स्थिति में बदलाव लाने के मकसद से मनरेगा का क्रियान्वयन नहीं किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड वाले और जरूरतमंद राज्यों बिहार को औसतन 2553 करोड़ रुपये और उत्तरप्रदेश को 4769 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी. यही कारण है कि केवल इन दो राज्यों में 1.50 करोड़ सक्रिय जॉबकार्ड धारी परिवारों में से 77 लाख ने ही काम किया. बाकी ने पलायन या फिर अन्य कामों में विकल्प तलाशे होंगे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 6798 करोड़ रुपये, राजस्थान को 5483 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 4127 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी.

अगर क़ानून के मंशा के मुताबिक भारत सरकार सभी जरूरतमंद परिवारों (7.81 करोड़ सक्रिय जॉबकार्डधारी) को इस साल 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध करवाना है तो योजना में 2.25 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा. इसमें से वर्तमान औसत मजदूरी की दर 202 रुपये के मान से 1.58 लाख करोड़ रुपये (यानी 70%) राशि मजदूरी के रूप में खर्च की जाना होगी. अब तक सरकार ने मनरेगा के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इस मान से 1.20 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किये जाने की जरूरत होगी.

मौजूदा जरूरतों को देखते हुए मनरेगा में रोज़गार के अधिकार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ा कर 150 दिन किया जाना चाहिए, ताकि निम्न आयवर्ग के 7.81 करोड़ परिवारों के सामने अति गरीब हो जाने की स्थिति पैदा न हो जाए. यदि सरकार इस नीति को लागू करती है तो उसे 3.38 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा, जिसमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये का व्यय केवल मजदूरी पर किया जाना होगा.

सभी सक्रिय जॉबकार्ड धारी परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोज़गार प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश को 15173 करोड़ रुपये, बिहार को 15617 करोड़ रुपये, उत्तरप्रदेश को 24736 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 24090 करोड़ रुपये और राजस्थान को 20165 करोड़ रुपये की जरूरत होगी.

	वर्ष 2020-21 की स्थिति (संख्या लाख में)				4 वर्ष में काम करने वाले औसत कामगार			वित्तीय आंकलन - कोविड पश्चात स्थिति						
	कुल जॉब कार्ड्स	सक्रिय जॉब कार्ड्स	कुल कामगार	कुल सक्रिय कामगार	संख्या लाख में	सक्रिय कामगारों में काम करने वालों का %	4 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि	सक्रिय परिवारों को 100 दिन मजदूरी के लिए आवश्यक राशि - करोड़ रु. में	100 दिन हेतु संभावित लागत - 70% मजदूरी और 30% सामग्री	सक्रिय परिवारों को 150 दिन मजदूरी के लिए आवश्यक राशि - करोड़ रु. में	150 दिन हेतु संभावित लागत - 70% मजदूरी और 30% सामग्री - करोड़ रु. में	प्रति कार्य काम करने वाले मजदूरों का औसत (मजदूर प्रति कार्य)	वर्ष भर में होने वाले कुल मनरेगा कार्य - 4 वर्ष का औसत	सभी सक्रिय परिवारों को काम देने के लिए वर्ष 2020-21 में मनरेगा कामों की संभावित जरूरत
भारत	**1387**	**781**	**2700**	**1197**	**773.0**	**64.6**	**59111**	**157762**	**225374**	**236643**	**338061**	**4.2**	**184**	**285**
बिहार	186	54.12	261.14	63.23	31.9	50.4	2553	10932	15617	16398	23426	2.5	13	25
छत्तीसगढ़	41.16	33.41	94.61	67.55	43.5	64.4	2752	6749	9641	10123	14462	5.5	8	12
गुजरात	40.95	15.2	91.95	25.31	13.8	54.5	826	3070	4386	4606	6579	4.3	3	6
झारखंड	50.18	22.91	87.84	29.76	19.4	65.2	1470	4628	6611	6942	9917	2.4	8	12

कर्नाटक	64.54	33.39	150.66	64.56	40.9	63.4	3450	6745	9635	10117	14453	4.6	9	14
मध्यप्रदेश	71.33	52.58	162.11	95.24	60.4	63.4	4127	10621	15173	15932	22760	4.1	15	23
उत्तरप्रदेश	184.74	85.72	262.26	106.43	62.2	58.4	4769	17315	24736	25973	37105	4.2	15	25
पश्चिम बंगाल	127.26	83.48	286.37	139.36	80.1	57.5	6798	16863	24090	25294	36135	3.1	26	45
राजस्थान	108.17	69.88	244.65	108.59	71.9	66.3	5483	14116	20165	21174	30248	8.5	9	13
महाराष्ट्र	93.85	28.88	222.76	54.48	29.7	54.6	1811	5834	20165	8751	30248	3.5	8.4	6

इस दस्तावेज में दी गई सभी जानकारियों का स्त्रोत भारत सरकार की मनरेगा की वेबसाइट और बजट दस्तावेज हैं।